**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण**

**पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)**

**राजस्व वाद संख्या : 93/2018**

| वादी :- | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. भैरुलाल पुत्र शिवलाल<br>जाति-मेघवाल, निवासी-रास<br>तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) | | 1. तहसीलदार, जैतारण<br>तहसील-जैतारण, जिला-पाली |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.** **तारीख रजू:.09/05/2018**

उपस्थितः- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 04/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-ओडावास, पटवार हल्का-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 35-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। जिसका वादी रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया गया है। उक्त खसरान की भूमि में स्थित वादी का 1/3 हिस्से की भूमि वादी की खरीदसुदा कृषि भूमि है। वादी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो अनपढ अशिक्षित एवं अनुसुचित जाति का व्यक्ति है। उक्त भूमि जब वादी द्वारा खरीद की गई तब वादी ने अपने नाम पते सही बताये एवं लिखवाये थे लेकिन उस दरम्यान भूमि के बेचान एवं खरीद संबंधी दस्तावेज तैयार करते समय दस्तावेज लेखक द्वारा गलती एवं भूलवश वादी का नाम भेराराम व वादी की वल्दीयत हरलाल गलत अंकित कर दी। जिसमें राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम का अंकन भैराराम पुत्र श्री हरलाल अंकन हो गया जो गलत है। जबकि वादी की सही वल्दीयत भैरुलाल पुत्र श्री शिवलाल है इस कारण वादी को अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत अपने नाम भैराराम व वल्दीयत हरलाल के अंकन को हटवाने एवं उसके स्थान पर अपना सही नाम व वल्दीयत भैरुलाल पुत्र श्री शिवलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी के अन्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेज एवं रिकोर्ड जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम व सही वल्दीयत भैरुलाल पुत्र श्री शिवलाल दर्ज है जो सही व सत्य है तथा साधारण बोल चाल की भाषा में भी वादी भैरुलाल पुत्र श्री शिवलाल के नाम एवं वल्दीयत से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। उक्त सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजात की फोटो प्रतियां वाद के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधी है व उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही है। वादकारण दिनांक 10/4/2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी खातेदारी भूमि की नकले लेकर ऋण हेतु संबंधित बैंक से कृषि प्रयोजनार्थ ऋण हेतु सम्पर्क किया तब संबंधित बैंक द्वारा वादी को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम व वल्दीयत को दुरुस्त करवाने पर ही ऋण देने का कथन किया इस कारण वादी को उक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा है। उपरोक्त कारणों से वादी के हक में प्रथम दृष्टिया केस बखुबी साबित है। उपरोक्त कारणों से वादी के हक में सुविधा का संतुलन है। प्रस्तुत वाद का कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज भैरूराम पुत्र हरलाल के स्थान पर वास्तविक नाम भैरूलाल पुत्र शिवलाल दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-भूम्बलिया में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में पटवारी हल्का मय तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मजमें-ए-आम में जांच करने पर बताया कि वादी भैराराम पुत्र हरलाल एवं भैरूलाल पुत्र शिवलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति भैरूलाल पुत्र शिवलाल का ही हैं। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि भैरूलाल पुत्र शिवलाल ही उक्त खसरा नम्बर की भूमि में अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं एवं काश्त करते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहिचान पत्र संख्या RJ/21/159/426430 दिनांक 31/03/1995, राशन कार्ड संख्या 200000408240 एवं आधार कार्ड संख्या 411949507669 इत्यादि में भैरूलाल पुत्र शिवलाल नाम दर्ज हैं। अतः वादी का नाम भैरूराम पुत्र हरलाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र शिवलाल सही किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि भैरूराम पुत्र हरलाल एवं भैरूलाल पुत्र शिवलाल एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय हैं कि इस प्रकरण में वादी द्वारा जब उक्त विवादित आराजी को जरिये बेचान रजिस्ट्रेशन से खरीदी उस वक्त भैरूराम पुत्र हरलाल के नाम से ही खरीदी हैं, जिसका रेवेन्यू एजेन्सी ने अमल दरामद किया हैं। जरिये बेचान रजिस्ट्रेशन से खरीदी हुई आराजी में वादी अपना नाम दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी नही हैं, वादी इस हेतु सक्षम अधिकारी / न्यायालय में जाराजौही करें। वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझतें हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

04/6/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-भूम्बलिया में सुनाया गया।

04/6/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)